


बिहार सरकार
उद्योग विभाग
(उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना)

कार्यालय आदेश

दिनांक 30.12.2023 को निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना के आदेशानुसार नव वर्ष के अवसर पर stock clearance sale योजना अन्तर्गत 6 महीने से अधिक पुराने सामग्रियों खादी मॉल गांधी मैदान पटना /बिहार इम्पोरियम पटना /अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, नई दिल्ली एवं बोध गया बिक्री केन्द्र पर जाम पड़े सामग्रियों को 50 % छूट देकर बिक्री किया जाना है इससे नए उत्पादों के लिए रिटेल स्पेस मुक्त होगी और शिल्पियों /बुनकरों की लागत पूंजी वापस होगी। छूट में शिल्पियों एवं बुनकरों की हिस्सेदारी 50% रहेगी। उक्त योजना में जो भी शिल्पी /बुनकर भागीदार नहीं बनना चाहते हैं वह अपने सामग्रियों को तीन कार्य दिवस के अंदर सभी बिक्री केन्द्रों से ले जा सकते हैं।


यह विशेष छूट संस्थान के उपरोक्त सभी रिटेल आउटलेट पर दिनांक 01.01.2024 से 31.01 2024 तक मान्य होगी।


30/12/23

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापक 1341 / पटना, दिनांक 30/12/23

- प्रतिलिपि-1. खादी मॉल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. बिहार इम्पोरियम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. बोध गया स्थित बिक्री केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/12/23

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।